भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 352

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

उमंग मोबाइल-एप

352. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :
श्री श्रीधर कोटागिरी :
श्री टी.आर.वी.एस. रमेश :
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी :
श्री बैल्लाना चन्द्रशेखर :
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख सरकारी सेवाओं को एक साथ लाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में 'उमंग' मोबाइल-एप विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन सी राज्य सरकारें उक्त 'उमंग' मोबाइल एप्प के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही हैं; और

(घ) क्या उक्त एप को 'आधार' 'डिजिलॉकर' और पेमेंट-गेटवे के साथ जोड़ा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और **(ख):** जी, हां। उमंग मोबाइल के जरिए प्रमुख सरकारी सेवाओं के लिए एकल बिंदु अभिगम को सुकर बनाने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म और सामान्य मोबाइल एप्प है। उमंग एप्प एंड्रॉइड, आईओएस, विंडो एण्ड वेव (www.umang.gov.in) पर उपलब्ध है। उमंग कई भाषाओं- अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।

जनवरी, 21 की स्थिति के अनुसार 205 केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विभागों से लगभग 1007 सेवाओं के साथ-साथ 19361 भारत बिल भुगतान सेवाओं (बीबीपीएस) को उमंग पर ऑनबोर्ड किया गया है।
उमंग मोबाइल एप्प की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- प्रमुख सरकारी सेवाओं का एकत्रीकरण
- वन एप्प, यूआरएल, एसएमएस कोड और आईवीआर (टोल फ्री) संख्या
- एकीकृत, रोबस्ट, बैक-इंड पर स्केलेबल क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म
- विभागों/राज्यों के लिए कस्टोमाइज्ड ब्रांडिंग
- इंटयूटिव डिस्कवरी और पॉवरफुल सर्च
- बिल्ट-इन एनालिटिक्स

(ग) : जनवरी 21 की स्थिति के अनुसार 28 राज्य की सरकारों ने उमंग मोबाइल एप्प के जरिए राज्य सरकार के 103 विभागों से 544 सेवाएं ऑफर कर रही हैं। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(घ) : जी हां। उमंग एप्प आधार, डिजिलॉकर, पेमेंट गेटवे, फीडबैक सिस्टम्स इत्यादि के साथ एकीकृत। इन मुख्य एकीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

1. पेमेंट गेटवे- यदि विभाग पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत नहीं है और कुछ शुल्क संग्रह करने की जरूरत है तो उमंग के साथ एकीकृत पेमेंट गेटवे अर्थात पेगव का प्रयोग किया जा सकता है।
2. डिजिलॉकर- कोई भी व्यक्ति के डिजिलॉकर में सभी दस्तावेजों को अपने उमंग के होमपेज पर उस व्यक्ति के द्वारा देखा जा सकता है या नई सेवा के लिए अप्लाई करते समय अपलोड/अप्लाई करने के लिए कोई भी प्रयोक्ता अपने डिजिलॉकर से दस्तावेजों का प्रयोग कर सकता है।
3. फीडबैक प्रणाली- यदि कोई व्यक्ति उमंग से किसी भी प्रकार की सेवा लेता है तो फीडबैक अनुरोध उनके पास भेजा जा सकता है और उनकी फीडबैक त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस)-उमंग के साथ एकीकृत फीडबैक प्रणाली द्वारा संग्रह की जा सकती है।
4. एसएमएस- जरूरत होने पर एसएमएस किसी भी विभाग के प्रयोक्ताओं के पास भेजा जा सकता है।
5. ई-मेल गेटवे- जरूरत होने पर, किसी भी विभाग के प्रयोक्ताओं के पास ई-मेल भेजी जा सकती है।

******

अनुबंध-I

उमंग पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने वाले राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	बिहार
5	चंडीगढ़
6	छत्तीसगढ़
7	दिल्ली
8	गोवा
9	गुजरात
10	हरियाणा
11	हिमाचल प्रदेश
12	जम्मू और कश्मीर
13	झारखंड
14	लद्दाख
15	मध्य प्रदेश
16	मणिपुर
17	मेघालय
18	मिजोरम
19	नागालैंड
20	ओडिशा
21	राजस्थान
22	सिक्किम
23	तमिलनाडु
24	तेलंगाना
25	त्रिपुरा
26	उत्तराखंड
27	उत्तर प्रदेश
28	पश्चिम बंगाल

*****